

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था./2017

रायपुर, दिनांक / /2017

// कार्यालय-आदेश //

विधान सभा सचिवालय का समय प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 5.30 बजे तक के लिए निर्धारित है। इस अवधि में दोपहर 1.30 बजे से 2.00 बजे तक भोजन अवकाश रहता है।

यह ध्यान में आया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित कार्यालय समय का पालन नहीं कर रहे हैं, विशेषकर आवासीय परिसर में रहने वाले अधिकारी/कर्मचारी भोजन अवकाश में और अन्यथा भी अपने निवास पर जाते हैं और 1.30 बजे अथवा उसके कुछ समय पूर्व से 2.30, 3.00 अथवा 3.30 बजे तक वापस आते हैं। कुछ अधिकारी/कर्मचारी विधान सभा के बाहर चाय आदि पीने जाते हैं और वे भी भोजन अवकाश के निर्धारित समय का पालन नहीं कर रहे हैं।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षा है कि निर्धारित किए गए कार्यालय समय का पालन करें।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा
रायपुर, दिनांक 20/6/2017

क्रमांक 3821 /वि.स./स्था./2017

प्रतिलिपि-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
02. समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ।
03. सर्वर कक्ष।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा